ni1\Kailash\0 TO 3 YEARS.DOC135

(21)

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./ICDS/2007/ 9833—897 जयपुर, दिनांक 14.2.11

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्,
समस्त।(बांसवाडा को छोडकर)

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त। (बांसवाडा को छोडकर)

विषय :-- विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार एवं गरम पूरक पोषाहार व नाश्ता का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त किये जा रहे पूरक पोषाहार बेबीमिक्स, आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे गरम पूरक पोषाहार दलिया/खिचडी एवं नाश्ते के दायित्वों का 15 दिवस में भुगतान करने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है। यह जानकारी में लाया गया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में बकाया दायित्वों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों/मातृ समितियों को समय पर भुगतान नहीं होने से समेकित बाल विकास सेवाऐं कार्यक्रम पर विपरित प्रभाव पडना संभावित है। समय पर भुगतान नहीं करने से पुराने दायित्व लम्बित हो जाते हैं एवं उनका एक साथ भुगतान करने से वित्तीय अनियमितताऐं होने की सम्भावना रहती है। बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित बजट मद में खर्चा बुक नहीं किये जाने से व्यय का प्रतिशत कम रहता है जिसे वित्त विभाग एवं भारत सरकार दोनो ने ही गम्भीरता से लिया है। उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा किये गये व्यय के अनुरूप भारत सरकार द्वारा सीएसएस मद में अनुदान राशि जारी की जाती है व राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद में विभागीय प्रस्तावों में कटौती कर दी जाती है।

अतः इस सम्बन्ध में लेख हैं कि आपके अधिनस्थ संचालित बाल विकास परियोजनाओं में महिला स्वयं सहायता समूहों/मातृ समितियों को अबतक बकाया दायित्वों का भुगतान उन्हें आवंटिन बजट राशि में से शीघ्र करवाये जाने कि व्यवस्था कराने एवं भुगतान पश्चात शेष रहे दायित्वों के लिए बजट की मांग निदेशालय को शीघ्र प्रेषित कराने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।